

राजस्थान सरकार
स्वायत्त शासन विभाग राज. जयपुर

क्रमांक:-प.1ग()का/एसएमई/डीएलवी/19/2350

दिनांक 18/2/19

-आदेश:-

राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 336 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये निम्नांकित कर्मचारियों के स्थानान्तरण/पदस्थापन निर्देशानुसार तुरन्त प्रभाव से निम्नानुसार किये जाते हैं:-

क्र.सं.	नाम कार्मिक	पदनाम	कहाँ से	कहाँ को
1	श्री निरंजन कुमार	कनिष्ठ लिपिक	एपीओ निदेशालय	सुरजगढ
2	श्री कमल कुमार/श्री ओमप्रकाश	सफाई कर्मचारी	फलौदी	श्री विजयनगर (गंगानगर)
3	श्रीमती नीतू देवी	चतुर्थ श्रेणी कर्म०	नसीरावाद (स्थानान्तरणधीन)	विजयनगर (अजमेर)
4	श्री अशोक कुमार सेनी	फायरमैन	एपीओ निदेशालय	चौमू

विभागीय आदेश क्रमांक प.1(ग)()का/एस.एम.ई/डीएलवी/19/2080-2090 दिनांक 12.02.2019 में क्रम संख्या 01 पर अंकित श्री सुरजभान, कनिष्ठ लिपिक नगर पालिका श्रीदुर्गरगढ से राजलदेसर किया गया स्थानान्तरण आदेश तुरन्त प्रभाव से निरस्त किया जाता है। यह अपनी उपस्थिति यथावत संबंधित निकाय में देवें।

अतः उक्त कर्मचारी को तुरन्त पदस्थापित स्थान के लिये कार्यमुक्त कर शीघ्र विभाग को अवगत करावें।

नोट:-

1. स्थानान्तरित कर्मचारी के पदनाम में कोई परिवर्तन हो तो तुरन्त विभाग को अवगत करावें अन्यथा व्यक्तिशः जिम्मेदारी होगी।
2. स्थानान्तरित कर्मचारी का सेवाभिलेख प्राप्त होने के उपरान्त ही इन्हें वेतन का भुगतान किया जावे।
3. यदि कर्मचारी दैनिक वेतनगोपी/सविदा पर नियुक्त हो तो उसका स्थानान्तरण नहीं माना जावे एवं कार्यमुक्त नहीं किया जाकर विभाग को अवगत करावें।
4. यदि कर्मचारी सेवानिवृत्त/किरी अन्य कारणों से सेवा से पृथक हो गया हो तो उसका स्थानान्तरण नहीं माना जावे।
5. वर्ष 2018 में लाटरी के द्वारा नियुक्त सफाई कर्मचारियों का उक्त सूची में नाम हो तो स्थानान्तरण नहीं माना जावे।

(पवन अरोडा)

निदेशक एवं संयुक्त सचिव

क्रमांक : प.1(ग)()का/एसएमई/डीएलवी/19/2351-2373

दिनांक : 18/2/19

प्रतिलिपि:-सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. निजी सचिव, माननीय मंत्री महोदय, स्वायत्त शासन विभाग राज0 जयपुर।
2. निजी सचिव, शासन सचिव महोदय, स्वा.शा.वि., राज. जयपुर।
3. निजी सचिव, निदेशक एवं संयुक्त सचिव महोदय, स्वा.शा.वि., राज. जयपुर।
4. उपनिदेशक (क्षेत्रिय) स्थानीय निकाय विभाग.....।
5. अध्यक्ष/ अधिशाषी अधिकारी/नगर पालिका/फलौदी/सुरजगढ/नसीरावाद/श्री विजयनगर/चौमू।
6. संबंधित कर्मचारी श्री।
7. सुरक्षित पत्रावली।

(डॉ वीरेन्द्र सिंह)

उप निदेशक (प्रशासन)